उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसानों की दी जाने वाली सुविधायें।

1. **विभागीय फलपौध रोपण पर अनुदान :–** इस योजना के अन्तर्गत भिण्ड जिले में आम, ऑवला, अमरूद एवं नीबू फलोद्यान लगाने वाले कृषकों को नाबार्ड द्वारा प्रति हेक्टर निर्धारित लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। ऐसे कृषक जिनके पास सुनिश्चित सिंचाई के साधन हो कम से कम 1/4 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ मिल सकेगा।
2. **आलू विकास कार्यक्रम :–** रबी मौसम में आलू क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने के लिए आलू विकास योजना के अन्तर्गत रू 500/– का अनुदान दिया जात है। जिसके तहत 480/– रू का आलू बीज एवं 20/– रूपये की बीज उपचार औषधियॉ प्रदान की जाती है।
3. **वाड़ी (किचिन गार्डन) कार्यक्रम :–** राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता के कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमान्त किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को वाड़ी कार्यक्रम अन्तर्गत पोषक आहार की उपलब्धता एवं अतिशेष को विक्रय कर आमदनी प्राप्त करने के लिए रू 50/– की सीमा तक के सब्जी बीजों के पैकेट उपलब्ध कराये जाते हैं।
4. **पुष्प विकास :–** जिसमें गुलाब, गेंदा, ग्लेडियोलाई, गुलदाउदी आदि प्रमुख पुष्पों के 400 वर्गमीटर में कृषकों के यहॉ प्रदर्शन डाले जाते हैं। प्रति प्रदर्शन बीज, पौध, वल्व, सर्कस पर 4000 रू. के आधार पर प्रति प्रदर्शन 75 प्रतिशत या अधिकतम रू. 3000 जो भी कम हैं। अनुदान दिया जाता है।
5. **संकर मिर्च उत्पादन :–** इस योजनान्तर्गत बी.पी.एल. धारी कृषकों के यहॉ 0.500 हेक्टेयर में संकर मिर्च उत्पादन लेने पर रू 7000/– का खाद बीज एवं दवा पर अनुदान का प्रावधान है। कम से कम 0.100 हेक्टेयर एवं अधिकतम 0.5 हेक्टेयर में कृषक लाभ ले सकता है।
6. **वर्मी–कम्पोस्ट :–** उद्यानिकी फसल ले रहे कृषकों के यहां वर्मी कम्पोस्ट यूनिट 600 वर्ग फीट क्षेत्रफल की तैयार करने पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 30000 रू. तक का प्रावधान है। स्थानीय बाजार से आदान सामग्री कृषक स्वयं खरीदकर बिल प्रस्तुत करेगा तथा विभागीय अमले द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत अनुदान राशि का भुगतान किया जावेगा।

सम्पर्क सूत्रः– ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सहायक संचालक उद्यान, भिण्ड

प्रपत्र–क

उद्यानिकी संचालनालय द्वारा क्रियान्बित किये जा रहे सभी कार्यक्रमों के लिए एक रूप

आवेदन-पत्र

प्रति,

सहायक संचालक, उद्यान
जिला भिण्ड (म. प्र.)

द्वारा– उद्यान अधीक्षक
वि.ख..............................

विषय :..कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज / फल पौध उपलब्ध कराने के लिये आवेदन–पत्र।

मैं...पिता / पति श्री..

वार्ड क्रमांक.............................ग्राम...ग्राम पंचायत..

विकास खण्ड...जिला...का निवासी हूँ।

निवेदन है कि कार्यक्रम के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है। मैं इस कार्यक्रम में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ। जनपद पंचायत... का वी. पी. एल. सूची के अनुक्रमांक...पर मेरा नाम अंकित है।

मैं, विभागीय अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने का बचन देता हूँ।

हस्ताक्षर गवाह....................................... हस्ताक्षर हितग्राही..

नाम... नाम..

पावती

कृषक श्री..पिता...जाति...................................ग्राम ने .

.................................योजनान्तर्गत आवेदन दिनांक..को प्राप्त किया।

उद्यान अधीक्षक

वि.ख...................................